संОसंО–11 / महाО(विविध कोषांग) 01 / 2013.......317(11)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक–15.4./2015

विषय :– वर्ष–2015के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम हेतु अनुदेश।

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार में हर वर्ष कुछ जिलों में बाढ़ आती है एवं जान–माल की क्षति के अलावे इस बाढ़ से कई तरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि बीमारी का फैलाव नहीं हो एवं यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके। बाढ़ के दौरान आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद / NRHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से करेंगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।

इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जाय :–

(क) <u>सामान्य</u>

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त / आरक्षी अधीक्षक / सिविल सर्जन / आपूर्ति विभाग / जिला आपदा प्रबंधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।
2. यह समिति अपने जिले में बाढ़ / जल–जनित से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेगी एवं वहाँ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।
3. ऐसे सभी पेयजल श्रोतो की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई–जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधरण व्यवहार में लाते हो। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी / कर्मी की सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।

   पेयजल श्रोत बाढ़ के पानी / जल जमाव से प्रभावित होतें हैं, उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे श्रोतो के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एवं बड़े श्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से की जायेगी।